राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6212/2021

आदित्य विक्रम पुत्र श्री गजराज सिंह हाड़ा निवासी– सुभाष कॉलोनी, एच. न. 30, बस स्टेण्ड, झालावाड़। (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीडब्ल्यू200622001614)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. सचिव (चयन बोर्ड–हैड कांस्टेबल 2019–20) जरिये महानिरीक्षक पुलिस, पीएचक्यू, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, झालावाड़, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.12.2021
आदेश की दिनांक : 06.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी को पुलिस विभाग में जिला भीलवाड़ा में कांस्टेबल के पद पर 15.05.2006 को नियुक्ति दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 23.11.2021 को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके अनुसार झालावाड़ जिले में हैड कांस्टेबल के 30 रिक्त पदों की पुर्ति के लिए पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2019–20 आयोजित की जानी थी। उक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी पदोन्नति हेतु आयोजित होने वाले योग्यात्मक परीक्षा के लिए समस्त शर्तें पूरी करता था, परंतु अपीलार्थी को इस आधार पर कि अपीलार्थी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई है, उसे योग्यात्मक परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया गया, जिस पर अपीलार्थी ने यह

अपील प्रस्तुत की। इस अपील में अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 09.12.2021 पारित कर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिये गये एवं यह भी आदेश दिये गए कि अपीलार्थी योग्यात्मक परीक्षा में सफल रहता है, तो पदोन्नति इस अपील के निर्णय के अध्याधीन होगी।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण प्रथम बार 2019–20 में नियमानुसार डीबार किया गया। यह भी अंकित किया गया कि अपीलार्थी को माननीय अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश 09.12.2021 की पालना में आदेश दिनांक 23.12.2021 से कानि. से हैड कानि. की पदोन्नति परीक्षा में शामिल किया गया तथा महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज के पत्र क्रमांक 75–83 दिनांक 08.01.2022 द्वारा जारी परिणाम में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया।

3. हमारे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। तीसरी संतान उत्पत्ति होने के संबंध में पदोन्नति से वंचित रखने के संबंध में नियम निम्न प्रकार है :–

> ''No person shall be consider for promotion for 5 recruitment years from the date on which his promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002''

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तीसरी संतान की उत्पत्ति यदि 1 जून, 2002 के पश्चात् हुई हो, तो तीसरी संतान की उत्पत्ति की दिनांक के पश्चात् जब भी पदोन्नति ड्यू होगी, तब से कर्मचारी को 5 रिक्ति वर्षों के लिए पदोन्नति के लिए विचार में नहीं लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में जिस रिक्ति वर्ष के लिए योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई है, वो वर्ष 2019–20 की है। अपीलार्थी 2019–20 में योग्यात्मक परीक्षा के लिए योग्य था, उस समय उसके तीसरी संतान भी नहीं थी, ऐसे में 2019–20 पदोन्नति उसी समय अर्थात् 2019–20 में ही आयोजित होती तो उसके लिए अपीलार्थी की कोई निहर्तता

नहीं थी और उपरोक्त नियम भी अपीलार्थी पर लागू नहीं होता। योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन बाद में हुआ है, जो 23.11.2021 की विज्ञप्ति के अनुसरण में हुआ है। अपीलार्थी की तीसरी संतान ने दिनांक 01.11.2021 को जन्म लिया था, परंतु उसके पूर्व वर्ष 2019–20 की योग्यात्मक परीक्षा के लिए अपीलार्थी 2019–20 में योग्य था, तो उसे बाद में आयोजित होने वाली परीक्षा से डीबार नहीं किया जा सकता।

4. अतः हमारे मत में अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 के लिए आयोजित परीक्षा में डीबार नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित योग्यात्मक परीक्षा, जो हैड कांस्टेबल के रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई थी, उसके लिए अपीलार्थी को अयोग्य माना जाना उचित नहीं है।

5. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी योग्यात्मक परीक्षा में शामिल हो चुका है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का परिणाम घोषित करें एवं अपीलार्थी चयन प्रक्रिया में योग्य पाया गया है तो उसे पदोन्नति का लाभ उसी प्रकार दें, जैसे अन्य योग्य अभ्यर्थियों को दिया गया है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)